

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

शहरी परिवहन व्यवस्था
स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

अनीपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक-22/07/26

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को 'शहरी परिवहन व्यवस्था' मद अंतर्गत कुल राशि रु० 105,00,00,000/- (एक सौ पाँच करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति।

आदेश:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को 'शहरी परिवहन व्यवस्था' मद अंतर्गत कुल रु० 105,00,00,000/- (एक सौ पाँच करोड़ रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति निम्न रूप से प्रदान की जाती है:-

A. OSP प्रक्षेत्र

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	धनबाद नगर निगम	144750355.00	धनबाद	नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त/ उप नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी
2	धिरकुण्डा नगर परिषद्	4728380.00	धनबाद	
3	गिरिडीह नगर निगम	28937302.00	गिरिडीह	
4	धनवार नगर पंचायत	2223647.00	गिरिडीह	
5	बड़की सरैया नगर पंचायत	5352267.00	गिरिडीह	
6	हजारीबाग नगर निगम	26093206.00	हजारीबाग	
7	झुमरीतिलैया नगर परिषद्	17262050.00	कोडरमा	
8	कोडरमा नगर पंचायत	7059831.00	कोडरमा	
9	डोमचांच नगर पंचायत	5486182.00	कोडरमा	
10	चास नगर निगम	17925030.00	बोकारो	
11	फुसरो नगर परिषद्	16127923.00	तेनुघाट	
12	चतरा नगर परिषद्	5823304.00	चतरा	
13	रामगढ़ नगर परिषद्	40454496.00	रामगढ़	
14	देवघर नगर निगम	23428637.00	देवघर	
15	मधुपुर नगर परिषद्	7980348.00	मधुपुर	
16	गोड्डा नगर परिषद्	6147348.00	गोड्डा	
17	महागामा नगर पंचायत	5274063.00	गोड्डा	
18	मेदिनीनगर नगर निगम	22565046.00	पलामू	
19	हुसैनाबाद नगर पंचायत	4818178.00	पलामू	
20	विश्रामपुर नगर परिषद्	11560048.00	पलामू	
21	छत्तरपुर नगर पंचायत	8265430.00	पलामू	
22	हरिहरगंज नगर पंचायत	4570429.00	पलामू	
23	गढ़वा नगर परिषद्	6058860.00	गढ़वा	
24	मझियांव नगर पंचायत	6553598.00	गढ़वा	
25	श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत	7144042.00	गढ़वा	
कुल योग		436590000.00		

B. SCSP प्रक्षेत्र

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	धनबाद नगर निगम	17925292.00	धनबाद	नगर आयुक्त / अपर नगर आयुक्त / उप नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी
2	चिरकुण्डा नगर परिषद्	567333.00	धनबाद	
3	गिरिडीह नगर निगम	3706155.00	गिरिडीह	
4	धनवार नगर पंचायत	281556.00	गिरिडीह	
5	बड़की सरैया नगर पंचायत	720928.00	गिरिडीह	
6	हजारीबाग नगर निगम	3260484.00	हजारीबाग	
7	झुमरीतिलैया नगर परिषद्	2260346.00	कोडरमा	
8	कोडरमा नगर पंचायत	951754.00	कोडरमा	
9	डोमचांच नगर पंचायत	726581.00	कोडरमा	
10	चास नगर निगम	2188502.00	बोकारो	
11	फुसरो नगर परिषद्	2094719.00	तेनुघाट	
12	चतरा नगर परिषद्	713354.00	चतरा	
13	रामगढ़ नगर परिषद्	5495528.00	रामगढ़	
14	देवघर नगर निगम	2865125.00	देवघर	
15	मधुपुर नगर परिषद्	1009645.00	मधुपुर	
16	गोड्डा नगर परिषद्	763410.00	गोड्डा	
17	महागामा नगर पंचायत	682010.00	गोड्डा	
18	मेदिनीनगर नगर निगम	2848200.00	पलामू	
19	हुसैनाबाद नगर पंचायत	619510.00	पलामू	
20	विश्रामपुर नगर परिषद्	1552179.00	पलामू	
21	छत्तरपुर नगर पंचायत	1115224.00	पलामू	
22	हरिहरगंज नगर पंचायत	585892.00	पलामू	
23	गढ़वा नगर परिषद्	756586.00	गढ़वा	
24	मझियांव नगर पंचायत	894425.00	गढ़वा	
25	श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत	944259.00	गढ़वा	
26	राँची नगर निगम	14262949.00	राँची	
27	बुण्डू नगर पंचायत	713014.00	राँची	
28	गुमला नगर परिषद्	906012.00	गुमला	
29	लोहरदगा नगर परिषद्	1530149.00	लोहरदगा	
30	सिमडेगा नगर परिषद्	1433020.00	सिमडेगा	
31	खूँटी नगर पंचायत	1050081.00	खूँटी	
32	दुमका नगर परिषद्	1122820.00	दुमका	
33	बासुकीनाथ नगर पंचायत	658660.00	दुमका	
34	पाकुड़ नगर परिषद्	713887.00	पाकुड़	
35	साहेबगंज नगर परिषद्	864541.00	साहेबगंज	
36	राजमहल नगर पंचायत	314174.00	राजमहल	
37	बरहरवा नगर पंचायत	322941.00	साहेबगंज	
38	मिहिजाम नगर परिषद्	541247.00	जामताड़ा	
39	जामताड़ा नगर पंचायत	658551.00	जामताड़ा	
40	चाईबासा नगर परिषद्	655358.00	चाईबासा	
41	चक्रधरपुर नगर परिषद्	766610.00	चक्रधरपुर	
42	चाकुलिया नगर पंचायत	584413.00	घाटशीला	
43	जमशेदपुर अ०क्षेत्र०	7341339.00	जमशेदपुर	
44	मानगो नगर निगम	2451946.00	जमशेदपुर	
45	जुगसलाई नगर परिषद्	525395.00	जमशेदपुर	
46	सरायकेला नगर पंचायत	385275.00	सरायकेला	
47	आदित्यपुर नगर निगम	2919841.00	सरायकेला	
48	कपाली नगर परिषद्	562816.00	सरायकेला	
49	लातेहार नगर पंचायत	625964.00	लातेहार	
कुल योग		97440000.00		

C. TSP प्रक्षेत्र

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	राँची नगर निगम	172825176.00	राँची	नगर आयुक्त / अपर नगर आयुक्त / उप नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी
2	बुण्डू नगर पंचायत	9795122.00	राँची	
3	गुमला नगर परिषद्	11577873.00	गुमला	
4	लोहरदगा नगर परिषद्	20587285.00	लोहरदगा	
5	सिमडेगा नगर परिषद्	19663986.00	सिमडेगा	
6	खूँटी नगर पंचायत	14234873.00	खूँटी	
7	दुमका नगर परिषद्	14913569.00	दुमका	
8	बासुकीनाथ नगर पंचायत	9130858.00	दुमका	
9	पाकुड़ नगर परिषद्	8929715.00	पाकुड़	
10	साहेबगंज नगर परिषद्	9655393.00	साहेबगंज	
11	राजमहल नगर पंचायत	3846925.00	राजमहल	
12	बरहरवा नगर पंचायत	3919173.00	साहेबगंज	
13	मिहिजाम नगर परिषद्	6567943.00	जामताड़ा	
14	जामताड़ा नगर पंचायत	8693656.00	जामताड़ा	
15	चाईबासा नगर परिषद्	8112708.00	चाईबासा	
16	चक्रधरपुर नगर परिषद्	9330312.00	चक्रधरपुर	
17	चाकुलिया नगर पंचायत	8062133.00	घाटशीला	
18	जमशेदपुर अ०क्षे०स०	84531597.00	जमशेदपुर	
19	मानगो नगर निगम	28318745.00	जमशेदपुर	
20	जुगसलाई नगर परिषद्	6007678.00	जमशेदपुर	
21	सरायकेला नगर पंचायत	5190854.00	सरायकेला	
22	आदित्यपुर नगर निगम	36988431.00	सरायकेला	
23	कपाली नगर परिषद्	6787847.00	सरायकेला	
24	लातेहार नगर पंचायत	8298148.00	लातेहार	
कुल योग		515970000.00		
कुल सकल योग (A+B+C)-		1050000000.00	(एक सौ पॉच करोड़ रुपये)	

2. स्वीकृत राशि का निकासी आवंटन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नवत् शीर्षों में उपबंधित राशि से की जाएगी:-

क्रम	प्रक्षेत्र	शीर्ष	उपबंधित राशि (रु० करोड़ में)
1	OSP	48-S-2217-80-191-33-01-06-79	62.37
2	TSP	48-S-2217-80-796-33-01-06-79	73.71
3	SCSP	48-S-2217-80-789-33-01-06-79	13.92

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपर्युक्त तालिकाओं के स्तंभ-V में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ-iv में अंकित कोषागार/उपकोषागार से वित्तीय वर्ष 2026-27 में की जाएगी।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। ऐसी स्थिति आने पर इसके निराकरण हेतु सूचना विभाग को ससमय देंगे।

5. स्वीकृत राशि का उपयोग शहरी परिवहन के निमित्त बजट आलेख के अनुसार—"The Urban Development and Housing Department provides grants to ULBs for improving urban transportation system which includes roads, drain, bridges, public transport, bus stops etc." इसके अतिरिक्त किसी अन्य मद में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।
6. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०-2561/दिनांक-17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
9. इस राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-759/वि०, दिनांक-20.03.2015 के कंडिका-5 के अनुसार उल्लेखित स्वीकृत राशि का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

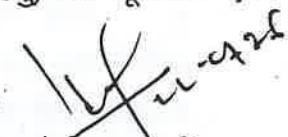
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(सुनील कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-05/श०परि०(आवंटन)-01/2026/न०वि०आ०-44 राँची, दि०-22/03/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/संयुक्त सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री उत्कर्ष, आईटी विशेषज्ञ, राज्य शहरी विकास अभिकरण (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।